कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा/स/22403/बी.यो/11–12 दिनांक: 10/08/2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

विषय :– कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा 2015–16 की प्रीमियम राशि के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की बीमा राशि एक लाख रूपये कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इसकी प्रीमियम राशि एक मुश्त राज्य सरकार के द्वारा जमा करवाई जाएगी। राज्य सरकार के पत्रांक : प.16(11)शिक्षा –I /95 जयपुर दिनांक 07.07.2011 के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि "माध्यमिक शिक्षा के छात्र–छात्राओं से विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अंशदान राशि पूर्वानुसार यथावत वसूल की जाकर विभाग के राजस्व मद में जमा करवाई जाएगी।" यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131100578 दिनांक: 06.7.2011 के अनुसरण में की गई है। इसी क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के प्रत्येक छात्र से 10 रूपये एवं प्रत्येक छात्रा से 5 रूपये प्रीमियम(अंशदान) पूर्वानुसार वसूल की जाए। यह राशि विद्यालय द्वारा अपने स्तर विभाग के निम्न राजस्व मद में जमा करवाई जानी

0202 – शिक्षा, खेलकुद, कला संस्कृति
01 – सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
(03) – अन्य प्राप्तियां
(01) – विविध

अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित करें कि उक्तानुसार छात्र/छात्रा से अंशदान वसूल कर विभाग के राजस्व मद में जमा करावें तथा चालान की प्रति संस्थाप्रधान अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखे। चालान की प्रति निदेशालय को प्रेषित नहीं की जाए।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे भी अधीनस्थ विद्यालयों को उक्त निर्देश प्रदान करें।
3. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग , कार्यालय हाजा. को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
4. मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. उपनिदेशक, योजना कार्यालया हाजा.
6. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करें
7. वरिष्ठ संपादक, शिविरा, कार्यालय हाजा. को शिविरा पत्रिका में प्रकाशनार्थ

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर